

क्रमांक 196-V/180

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

५० क्र.

पुनरोद्धारण

श्रीगोविन्द पुत्र श्रीकिशन निवासी ग्राम
गंजरामपुर तहसील मुरेना ज़िला मुरेना
आवेदक

विवर

- १- कोकसिंह पुत्र रामकिशन
२- रामनाथ पुत्र कल्याणसिंह

३- पुरनसिंह पुत्र सरमनसिंह *(ट्रॉफी NAD)*
निवासीगण ग्राम गंजरामपुर तहसील *(ट्रॉफी ४२१२)*
मुरेना ज़िला मुरेना ----- बनावेदकगण

वपर आयुक्त चम्पल संभाग घारा प्रकरण क्रमांक
२१६।८५-८ पुनरोद्धारण में पारित आदेश दिनांक
१५-२-८८ के पुनरोद्धारण हेतु आवेदन अन्तर्गत घारा
५० मू. राजस्व संहिता.

महोदय,

बनावेदक निम्नलिखित बाधारों पर पुनरोद्धारण आवेदन प्रस्तुत
करता है :-

- (१) यह कि वपर आयुक्त महोदय का आदेश जवाह सर्वं बनियमित है तथा
निरस्त किये जाने योग्य है।
- (२) यह कि जिस बिन्दु पर पकाकारों को कोई जापचि नहीं थी, जिस
बिन्दु को न्यायालय के समक्ष उठाया नहीं गया तथा जिस बिन्दु


2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निगो 196-छः/88

जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-6-16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 216/85-86 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 15-2-88 से व्यक्तित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उभयपक्षों द्वारा विचारण न्यायालय में पटेली के पद हेतु आवेदन पेश किया। नायब तहसीलदार ने प्रतिवेदन दिनांक 6-11-85 अनुविभागीय अधिकारी को भेजा। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 7-2-86 को आवेदकों की साधारण गणित परीक्षा ली। अनावेदक पूरनसिंह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ, अनुविभागीय अधिकारी का स्थानांतरण होने से उत्तराधिकारी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 12-5-86 द्वारा द्वारा समस्त उम्मीदवारों को उपयुक्त पाकर पटेल का पद चुना से भरे जाने का निर्णय लिया एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु नायब तहसीलदार को निर्देश दिए। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने स्वीकार की एवं उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर निर्णय लेकर पटेल नियुक्त करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक 2 रामनाथ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय</p>	

मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हरण
	<p>में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं कलेक्टर, मुरैना का आदेश निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा गया है। अपर आयुक्त के इस आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।</p> <p>3/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण पटेली नियुक्ति के संबंध में है। अपर आयुक्त ने इस आधार पर निगरानी को स्वीकार किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निगरानी योग्य था नाकि अपीलीय और कलेक्टर, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत अपील को निगरानी में परिवर्तित करने हेतु पक्षकार द्वारा कोई लिखित या मौखिक प्रार्थना नहीं की गई है। इस कारण कलेक्टर को प्रथम अपील अग्राह्य करना चाहिए था। मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी उम्मीदवारों को उपयुक्त पाकर पटेल का पद चुनाव द्वारा भरे जाने के निर्देश नायब तहसीलदार को दिए हैं, इस प्रकार उनका जो आदेश है वह निगरानी योग्य है नाकि अपीलीय। अतः अपर आयुक्त द्वारा इस प्रकरण में कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है।</p> <p>उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों।</p> <p style="text-align: right;">संक्षेप</p>	